21 (11) सरकारी सेवकों द्वारा उपहार स्वीकार करना

मुझे उपर्युक्त विषय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी तारीख 27 अगस्त 2003 के पत्र सं. 002–एम एस सी/70 की एक प्रति इसके साथ इस अनुरोध के साथ भेजने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र की अंतर्वस्तु मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों की जानकारी में लाएं ताकि इसे कड़ाई से कार्यान्वित किया जा सके और साथ ही इस विभाग को भी सूचित करें।

(डी पी ई का ता. 8 अक्तूबर, 2003 का का.ज्ञा. सं. 15(3)/2003– डी पी ई (जीएम)/जीएल–48)

सी वी सी के ता. 27 अगस्त 2003 के पत्र सं. 002 – एम एम सी/70 की प्रति

सरकारी सेवकों द्वारा उपहार स्वीकार किया जाना

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बैंक आदि द्वारा दिवाली, क्रिसमस, नववर्ष इत्यादि जैसे त्यौहारों के अवसर पर सरकारी कर्मचारी/अधिकारी सहित अनेक व्यक्तियों को उपहार भेंट किए जाते हैं। यह मामला प्रैस, मीडिया आदि में चर्चा का विषय बना हुआ है। आयोग ने इस मामले पर विचार किया और यह राय दी कि कम से कम जहां तक सरकारी सेवकों का संबंध है, इस तरह की परिपाटी बंद किए जाने की आवश्यकता है। सी सी एस (आचरण नियमावली) में यह व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारी विवाह, सालगिरह या धार्मिक समारोहों के अवसरों के सिवाय कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देगा। पी एस यू इत्यादि में सरकारी सेवकों को उपहार भेजने के चलन से उनको बेवजह परेशानी उठानी पड़ती है और उन्हें दुविधा होती है। इस तरह के उपहार केवल वाणिज्यिक/व्यापारिक हितों के संवर्धन के लिए दिए जाते हैं अतः ऐसे सरकारी कर्मचारियों का उपहार देने की आवश्यकता नहीं है जो केवल अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हैं। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों आदि को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल प्रभाव से उनका सुझाव मानें। सी वी ओ इस संबंध में मुख्य–कार्यपालकों और सभी संगत कार्यपालकों को सूचित करें।

2. आयोग सी वी ओ से चालू वर्ष में उनके द्वारा अपनाई गई कम्पनी की उपहार नीति के संबंध में और त्यौहारों पर दिए गए उपहारों के रूप में उनके द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के संबंध में रिपोर्ट भी प्राप्त करना चाहता है। आयोग को 15 जनवरी, 2004 तक और इसके बाद प्रत्येक वर्ष विशेष रिपोर्ट प्राप्त करने की उम्मीद करता है।

(डी पी ई का ता. 8 अक्तूबर, 2003 का का.ज्ञा. सं. 15(3)/2003– डी पी ई (जीएम)/जीएल–48)